पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपीलीय अधिकारी
APPELLATE AUTHORITY UNDER THE RTI ACT, 2005
केन्द्रीय कार्यालय', सौदामिनी', प्लाट नं.2, सैक्टर- 29, गुड़गांव, हरियाणा-122001
CORPORATE CENTRE, 'SAUDAMINI', PLOT No.2, SECTOR-29, GURGAON, HARYANA- 122001

Ref: C/CP/AA/RTI Act, 2005 Date: 10th April, 2017

अपीलार्थी: श्री वी. के. गौड, मकान न., 115, गली न. 8, कान्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली - 110 051

लोक प्राधिकारी : पावरग्रिड

उत्तरदायी : अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी, के.का., पावरग्रिड गुडगांव । महाप्रबंधक (मा. स.), के. का., पावरग्रिड गुडगांव ।

आदेश

अपील का आधार

अपीलीय अधिकारी ने श्री वी. के गौड से 17.3.2017 को उनके द्वारा पूर्व में दिये गये आर टी आई पत्र के संबंध में अपील को प्राप्त किया । आारटीआई एक्ट 2005 के तहत प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.1.2017 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके माध्यम से प्रार्थी ने पावरग्रिड में पंजीकृत यूनियन की जानकारी चाही थी ।

अपील के प्राप्त होने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा सीपीआईओ, सीसी से इस विषय पर विचार जाने गये तथा संबंधित कागजात का अवलोकन किया गया । सीपीआईओ द्वारा बताया गया कि आरटीआई प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने पर उस विषय पर संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त की गई । संबंधित विभाग से जानकारी मिलने के बाद प्रार्थी को पत्र दिनांक 13.2.2017 के माध्यम से चाही गई जानकारी प्राप्त की गई । क्योंकि कुछ प्रश्नों की जानकारी उत्तरी क्षेत्र - 1 एवं उत्तरी क्षेत्र - 3 द्वारा दी जानी थी अत: इन क्षेत्रों से उनसे संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपरोक्त पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया । सीपीआईओ, सीसी द्वारा बताया गया कि उत्तरी क्षेत्र-1 एवं उत्तरी क्षेत्र-3 द्वारा उनसे संबंधित प्रश्नों का जवाब भी प्रार्थी को दिया गया है ।

प्रार्थी केन्द्रीय कार्यालय एवं उत्तरी क्षेत्र - 1 से संबंधित जवाबो से संतुष्ट नहीं है अत: उन्होंने 15.03.2017 को अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय के यहां अपील दायर की है ।

तदनुसार उस अपील को केन्द्रीय कार्यालय में संबंधित विभाग को भेजा गया । इसके जवाब में संबंधित विभाग द्वारा बताया गया कि प्रार्थी केन्द्रीय कार्यालय द्वारा दिये गए प्रश्न 4 के उत्तर से संतुष्ट नहीं है कि पावरग्रिड वर्कर्स यूनियन को 2004 में एवं पावरग्रिड कारपोरेट मतदूर संघ को 2015 में यूनियन आफिस के लिए स्थान दिया गया था । इस संदर्भ में महा प्रबंधक (मा.सं.) द्वारा स्पष्ट किया गया कि चुनाव के पश्चात ही, यूनियन को आफिस दिया जाता है ।

अपील में उठाए गए 5 से 10 तक प्रश्नों के उत्तर उत्तरी क्षेत्र - 1 से संबंधित हैं । अत: उपरोक्त प्रश्नों के निराकरण के लिए अपील को उत्तरी क्षेत्र - 1 में पत्र संख्या दिनांक 22.03.2017 के द्वारा भेजा गया है ।

इस तरह से केन्द्रीय कायार्लय से संबंधित प्रश्न 4 के संदर्भ में संबंधित विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर इस अपील का निपटारा किया जाता है ।

(अश्वनी जैन) 10/5/17

कार्यपालक निदेशक (सीएमजी) एवं अपीलीय अधिकारी,

To: श्री वी. के. गौड़, मकान न., 115, गली न. 8, कान्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली -110 051

Copy to:

(i) श्रीमति सीमा गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र-1) एवं अपीलीय अधिकारी, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी-9 कुतब इंस्टीटयूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110 016 ।

(ii) अपर महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अध्किारी, के.का., पावरग्रिड गुडगांव ।

(iii) महाप्रबंधक (मा. स.), के. का., पावरग्रिड गुडगांव ।